न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र 61/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
कानाराम पुत्र मीमाराम जाति जाट निवासी चातरा मांजरा तहसील व जिला नागौर।		सुरजाराम पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी चातरा मांजरा तहसील व जिला नागौर।

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक :– 29/1/18

प्रार्थी की ओर से निम्न आवेदन पत्र इश्तदुआ की कि, प्रार्थी व अप्रार्थी ग्राम चातरा मांजरा तहसील व जिला नागौर का निवासी है प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेताय ग्राम चातरा मांजरा में हाल खसरा नम्बर 22, 23, 184, 234 व 172 स्थित है अप्रार्थी की खातेदारी के खेताय हाल खसरा नम्बर 24, 235, 381, 236, 330 व 350 ग्राम चातरा मांजरा तहसील व जिला नागौर में स्थित है।

यह है कि, मुझ प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 234 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा के चिपता सींवा जोड़ पूर्वी तरफ अप्रार्थी सुरजाराम का खेत खसरा नम्बर 236 रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सुरजाराम के इन खेतो खसरा नम्बर 234 व 236 के बीच पूर्व में प्राकृतिक सींव पुरातन समय से रहती चली आई थी, परन्तु अप्रार्थी सुरजाराम ने अभी कुछ समय पूर्व मुझ प्रार्थी व अपने इन खेतो के बीच लकड़ीयों की बलिया रोपकर तारबंदी की बलीया रोपकर तारबंदी करते समय अप्रार्थी ने मुझ प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 234 व स्वयं के खेत खसरा नम्बर 235 व 236 के बीच चली आ रही वर्षो पुरानी पुरातन माठ (सींव) को तोड़ दिया व मुझ प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 234 की तरफ सींव को तोड़कर मेरे खेत की भूमि में बलीया रोपकर तारबंदी कर दी व मुझ प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 234 की भूमि को नाजायज तोर से दबाकर अपने खेत खसरा नम्बर 236 व 235 में शामिल कर ली।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब किये गये जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी की ओर जवाब प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज प्रार्थी व अप्रार्थी के खातेदारी के खेताय ग्राम चातरा मांजरा की सरहद में स्थित होना सही है।

यह है कि, प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 2 में दर्ज तथ्य कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त के खेत खसरा नम्बर 234 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा के चिपता सींवा जोड़ पूर्वी तरफ अप्रार्थी उतरदाता का खेत खसरा नम्बर 236 रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा स्थित होना सही है एवं पक्षकारान के खेताय के मध्य पहले से चली आ रही सींवे माठे आज दिन उसी स्थिति में ही है। यह सही है कि अप्रार्थी ने अपने व प्रार्थी के खेत के बीच सींव पर बलियां रोपकर आवारा पशुओ की रखवाली हेतु तारबंदी की थी। लेकिन यह गलत है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 234 व उतरदाता के खेत खसरा नम्बर 235 व 236 के बीच चली आ रही वर्षो पुरानी माठ को तोड़ दिया हो। यह भी गलत है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 234 की तरफ सींव को तोड़ कर प्रार्थी के खेत में बलिया रोप कर तारबंदी की हो। यह भी गलत है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 234 की भूमि को

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

Scanned by CamScanner

कानाराम बनाम सुरजाराम
राजस्व प्रार्थना पत्र 61/2016

नाजायज तौर पर दबा कर अपने खेत खसरा नम्बर 236 व 235 में शामिल कर ली हो। जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी के खेतो के बीच की पुरातन सींव जो पहले थी उसी स्थिति में आज दिन है।

यह है कि, प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 3 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि अप्रार्थी सुरजाराम ने प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 234 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा की जमीन पर बलिया रोप कर तारबंदी कर गलत रूप से अपने खेत खसरा नम्बर 236 में जबरन मिला लिया हो। यह भी गलत है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी को बलियां हटा कर पूर्व स्थिति पुरातन सींव के स्थान पर बलियां रोप कर जमीन छोड़ने का आग्रह किया हो और अप्रार्थी माना नही हो तब प्रार्थी ने पटवारी हल्का रायधनु से दो बार अपने खेत का नाप अप्रार्थी की मौजूदगी में करवाया हो जिस पर प्रार्थी के खेत की भूमि अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 236 में निकली हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज करावे।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण अधीन धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत विचाराधीन है ऐसे मामलो में किसी भी पक्षकारान के खातेदारी अधिकारो का हनन नही होता है। ऐसे मामलो मे मात्र पक्षकारान के विवादित खेताय का सीमाज्ञान किया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 234 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा मौजा चातरा मांजरा का नाप किया जाकर मौके पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश तहसीलदार नागौर को दिये जाते है। कमिश्नर खर्चे 1000/– रूपये तय किये जाते है जो मौका कमिश्नर को मौके पर ही देय होगे।

उपखण्ड अधिकारी,
(SDO), नागौर

आदेश आज दिनांक 29/1/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी,
(SDO), नागौर

Scanned by CamScanner